फर्द अहकाम
कार्यालय जिला मजिस्ट्रेट राजसमन्द, जिला राजसमन्द

भारतीय स्टेट बैंक, शाखा सदर बाजार, राजसमन्द(31213) जिला राजसमन्द
– प्रार्थी (प्रतिभूत लेनदार)

बनाम

1. श्री रमेश चन्द्र पालीवाल पुत्र श्री पृथ्वीराज पालीवाल निवासी मकान नं. 2, गणेश नगर, जावद, राजसमन्द
2. श्रीमती दुर्गा पालीवाल पत्नी श्री रमेश चन्द्र पालीवाल निवासी मकान नं. 2, गणेश नगर, जावद, राजसमन्द
3. श्री रमेश चन्द पालीवाल पुत्र श्री प्रभु लाल पालीवाल निवासी गणेश नगर, जावद, राजसमन्द(राज.)

–ऋणी/अप्रार्थी/जमानतदार

किस्म मुकदमा– प्रार्थना पत्र सरफेसी एक्ट **पत्रावली संख्या 88/2022**

क्रमांक	कार्यवाहिक विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
	दिनांक 26.12.2022 पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी भारतीय स्टेट बैंक, शाखा सदर बाजार राजसमन्द, जिला राजसमन्द ने दिनांक 28.11.2022 को इस न्यायालय में धारा 14 अन्तर्गत वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत प्रस्तुत किया हैं जिसे दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रार्थी भारतीय स्टेट बैंक ने श्री रमेश चन्द्र पालीवाल पुत्र श्री पृथ्वीराज पालीबाल को रूपये 5,35,000/– अक्षरे पांच लाख पैंतीस हजार रूपये एवं 6,00,000/– रूपये अक्षरे छः लाख रूपये का ऋण स्वीकृति किया था इस हेतु ऋणी/ऋणियो/जमानतदारों ने आवश्यक दस्तावेजों को निष्पादित किये थे। उक्त ऋण राशि निम्न परिसम्पत्ति, प्रतिभूति करार के अर्न्तगत प्रतिभूति आस्ति से रक्षित अचल आवासीय सम्पत्ति जो प्लाट नम्बर 2, गणेश नगर, जावद,तहसील राजसमन्द जिला राजसमन्द (राज.) में स्थित है जो श्री रमेश चन्द्र पालीवाल पुत्र श्री पृथ्वीराज पालीवाल के नाम से है, जिसका कुल क्षेत्रफल 1382.25 वर्गफीट है। जिसके पड़ौस निम्नानुसार हैः– पूर्व में : आम रास्ता, पश्चिम में : खुली भूमि, उत्तर में : प्लाट नम्बर 01, दक्षिण में : प्लाट न. 03। ऋण और ब्याज को समय पर चुकाने मे असफल होने पर ऋणी के खाते को बैंक के द्वारा नियमानुसार दिनांक 01.10.2020 को अनर्जक परिसम्पति (NPA) के रूप में वर्गीकृत कर दिया गया था। वित्तीय संस्था के प्राधिकृत अधिकारी ने दिनांक 03.02.2022 को मांग नोटिस वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 13(2) के अन्तर्गत मांग नोटिस भेज करके 60 दिन मे ऋण राशि दिनांक 01.02.2022 को रूपये 10,16,518/– ब्याज व खर्चे अतिरिक्त भुगतान करने के लिए मांग की। उक्त अधिनियम की धारा 14 के अन्तर्गत प्रतिभुत आस्ति को अपने कब्जे या नियत्रंण मे लेकर प्रतिभूति लेनदार	

(बैंक) को सुपुर्द करने का अधिकार प्राप्त है। सम्पति का उचित मूल्य प्राप्त करने के लिए सम्पत्ति का भौतिक कब्जा प्राप्त करना अति आवश्यक है।

प्रकरण में प्रार्थी बैंक द्वारा ऋणी तथा गारण्टर को धारा 13(2) वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के नोटिस दिनांकः 03.02.2022 को जारी किया गया था। उक्त नोटिस विपक्षी को उनके पते पर तामिल होने संबंधी रजिस्टर्ड ए0डी0 की रसीदे एवं पोस्ट आफिस की डीलेवरी रिपोर्ट की प्रति पेश की गयी। आवेदक बैंक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं अभिलेख व आवेदक के शपथ–पत्र पर विचार करने के उपरान्त हम धारा 14 अन्तर्गत वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 में प्रदत्त की गयी शक्तियों के तहत प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाना उचित समझते हैं।

प्रार्थी स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया द्वारा श्री रमेश चन्द्र पालीवाल पुत्र श्री पृथ्वीराज पालीवाल मकान नम्बर 2 गणेश नगर, जावद राजसमन्द, जिला – राजसमन्द(राज.) श्रीमती दुर्गा पालीवाल पत्नी श्री रमेश चन्द्र पालीवाल निवासी मकान नम्बर 2, गणेश नगर, जावद, राजसमन्द जमानतदार श्री राम चन्द्र पालीवाल पुत्र श्री प्रभु लाल पालीवाल निवासी गणेश नगर, जावद, राजसमन्द जिला राजसमन्द(राज.) को राशि रूपये 5,35,000/– अक्षरे पांच लाख पैंतीस हजार एवं 6,00,000/– रूपये अक्षरे छः लाख रूपये का ऋण स्वीकृति किया था उक्त ऋणी/जमानतदार से बैंक को राशि 10,16,518/– वसूल करना हैं। ऋणी/जमानतदार ने चल सम्पत्ति :– आवासीय सम्पत्ति जो प्लाट नम्बर 2, गणेश नगर, जावद,तहसील राजसमन्द जिला राजसमन्द (राज.) में स्थित है जो श्री रमेश चन्द्र पालीवाल पुत्र श्री पृथ्वीराज पालीवाल के नाम से है, जिसका कुल क्षेत्रफल 1382.25 वर्गफीट है। जिसके पड़ौस निम्नानुसार हैः– पूर्व : आम रास्ता, पश्चिम : खुली भूमि, उत्तर में : प्लाट नम्बर 01, दक्षिण में : प्लाट न. 03।

उपरोक्त सम्पत्ति किसी अन्य को स्थानान्तरण नहीं की हो, किसी न्यायालय का कोई आदेश/स्थगन प्रभावी नहीं होने पर उक्त सम्पत्ति का भौतिक रुप से कब्जा प्रार्थी भारतीय स्टेट बैंक, शाखा सदर बाजार, राजसमन्द, जिला राजसमन्द के अधिकृत प्रतिनिधि को जरिये पुलिस मदद के दिलवाये जाने के आदेश दिए जाते हैं। इस आदेश की पालना हेतु प्रति जिला पुलिस अधीक्षक, राजसमंद को प्रेषित की जाकर प्रार्थी शाखा सदर बाजार, राजसमन्द को नियमानुसार पुलिस जाब्ता राशि जमा होने पर पर्याप्त पुलिस जाब्ता उपलब्ध कराया जावें।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर नं0 से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

(निलाभ सक्सेना)
जिला मजिस्ट्रेट
राजसमन्द

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)